FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

प्रहलाद बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती मु0नं0 347 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/660

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21-05-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी श्री सूरजभान पूनियां उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक **14.07.2025** को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 13/8/25 को पेश हों।	
13/8/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 9/10/25 को पेश हों।	
9/10/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 5/11/25 को पेश हों।	
	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 21/11/25 को पेश हों।	
19/11/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 05/12/25 को पेश हों।	

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
उनवानी प्रहलाद बनाम भूमिधारी मु0सं0 347/2025

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

तारीख हुकम	
05-12-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ''प्रहलाद पुत्र देवाराम'' दर्ज हैं जबकि वादी का नाम ''प्रहलाद पुत्र देवाराम'' की जगह ''प्रहलाद पुत्र देवकरण'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य जमाबन्दीयों तथा तहसीलदार रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

आदेश

तन ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 910/2, 966/1019, 967 में वादी का गलत दर्ज नाम ''प्रहलाद पुत्र देवाराम'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''प्रहलाद पुत्र देवकरण'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. प्रहलाद पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 27 पुलिस का मौहल्ला, छावनी, नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड
मुकदमा नं. 347 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 910/2, 966/1019, 967 में वादी का गलत दर्ज नाम ''प्रहलाद पुत्र देवाराम'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''प्रहलाद पुत्र देवकरण'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**
.निज....................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **05 माह 12 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.))

दस्तखत............... (हस्ताक्षर)
ओहदा............... राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।